फर्द अहकाम

लक्ष्मी देवी बनाम सुरेश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 163/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/6/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. प्रशासनिक/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	२४/6/२४	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० ४ लगायत 5 की तामिल करवाये लगभग 09 माह से भी अधिक समय हो चुका है। लिहाजा सम्यक तामील मानते हुए प्रतिवादी सं. ४ लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने जाहिर किया कि वे शेष साक्ष्यवादी पेश नहीं करना चाहते हैं अतः साक्ष्यवादी बंद किया जाता है। वकील वादी ने वाद में अंतिम बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस को सुना जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/6/२४ को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	27/06/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की (हस्ताक्षर)	

फर्द अहकाम

लक्ष्मीदेवी बनाम सुरेश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 163/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वादपत्र पर एक पक्षीय अंतिम बहस पूर्व में सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के उपरान्त वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 87/2 रकबा 0.2529 हैक्टर स्थित ग्राम खिजुरियां तिवाडीयान प.ह. खतैपुरा भू.अ.नि. देवगांव तह. तूंगा जि. जयपुर की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 लगा 3 का नाम खारिज किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 27/06/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर, बस्सी जयपुर ग्रामीण

वादीया

1. लक्ष्मी देवी पत्नी रामनारायण अयु 72 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम खिजुरिया तिवाडीयान तहसील तूंगा जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरेश पुत्र स्व0 बृजमोहन
2. राजू पुत्र स्व0 बृजमोहन
3. मु0 छुट्टन पत्नी स्व0 बृजमोहन

समस्त जाति पुरोहित निवासीयान ग्राम खिजुरिया तिवाडीयान तहसील तूंगा जिला जयपुर राजस्थान।

4. उपपंजीयक महोदय तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील तूंगा जिला जयपुर राजस्थान।

<u>दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

मुकदमा नम्बर 163 / 2023

वादीया का वाद बाबत उदघोषणा, दुरूस्त इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम खिजूरिया तिवाडीयान पटवार हल्का खतैपुरा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 87 / 2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है तथा

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे न ही दीगर से करावे। तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करे। ....निजी..................मुबलिक......................बाबत... ....खर्चा..इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.................. फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

दस्तख्त.............................

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

ओहदा...............................

मुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण